न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– देवी सिंह, आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 148 सन् 2014 राजस्व वाद

1. श्री भगवतसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती धनकॅवर पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती गोपाल कॅवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी जब्बरसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल बरणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. श्रीमती विष्णु कॅवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल मेवीखुर्द तहसील देसुरी जिला पाली
5. श्रीमती संतोष कॅवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी पाबुसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल बरणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. श्रीमती कान्ता कॅवर पुत्री हिम्मतसिंह पत्नी विक्रमसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल पाचुण्डाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली वर्तमान निवास राजपूत कोलोनी , भीलवाड़ा
7. श्री विश्वविजय सिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8. श्री जितेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. श्रीमती भगतवकॅवर पत्नी जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

....

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भगवानसिंह पिता स्व0 गुलाबसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्री विश्नाथ प्रतापसिंह पिता स्व0 लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. श्री महेन्द्रपाल पिता स्व0 लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती कौशल्याकॅवर पत्नी स्व0 लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

....

विपक्षीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 द0प्र0संहिता</u>

उपस्थित

वादीगण की ओर से :– श्री कमलेश मेहता , एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :– श्री श्यामलाल वैद ,एडवोकेट

निर्णय

दिनांक –18.12.2015

उप खण्ड अधिकारी माण्डल

वादीगण द्वारा मौजा सुरास तहसील माण्डल की वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र के पैरा संख्या 7 में किया गया है जो खाता संख्या 301 में प्रतिवादी संख्या 1

भगवानसिंह एवं खाता संख्या 302 में प्रतिवादी भगवानसिंह के साथ स्व. लक्ष्मण सिंह के वारिसान जो प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के नाम अभिलिखित होना दर्शाया गयाहै। उक्त आराजियात स्व. रतनसिंह के नाम दर्ज होने से पुश्तैनी आराजियात होना दर्शाते हुये वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी होने से विरासत से अपना हक व अधिकार दर्शाते हुए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट, 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादपत्र के पैरा संख्या 1 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा दर्शाया और स्वर्गीय रतनसिंह जो वादीगण के परिवार के मुखिया सुरास जागीरदार रतनसिंह की मृत्यु सन् 1944 में हो जाने का उल्लेख करते हुए वादपत्र के पैरा संख्या 2 में मौजा सुरास तहसील माण्डल की जमाबंदी के खाता संख्या 1 व पुरानी 194ए में विभिन्न आराजियों कुल किता 19 रकबा 1066.08 बीघा भूमि जागीरदार खुदकाश्त राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का भी उल्लेख किया । इसी तरह वादीगण ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 20 में वर्णित अराजियात पैतृक होने का उल्लेख करते हुए उक्त आराजियात में वादीगण को भी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा का अनुतोष एवं वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पैतृक होने का उल्लेख करते हुए प्रतिवादीगण को उक्त जमीन खुर्द–बुर्द न करने, रहन या बेचान या हस्तान्तरण न करने का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रार्थना की।

वादीगण का प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर करने के वाद, सम्मन से प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सि0प्र0संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल वादीगण को दिलाई गई। जिसका वादीगण ने खण्डन करते हुए प्रतिवादीगण के आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 द0प्र0संहिता के तहत खारिज करने की प्रार्थना की । दोनों पक्षों की बहस समायत की गई।

प्रतिवादीगण ने अपने आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सि0प्र0संहिता की पुष्टि में बहस करते हुए यह कथन किया कि वादीगण के वादपत्रानुसार एवं इनके द्वारा प्रस्तुत जमाबदी के खाता संख्या 1 में वर्णित आराजियात जागीरदार को "खुदकाश्त" की होना प्रमाणित है। उस वक्त जागीरदार स्व0 गुलाबसिंह जी थे जिनका नाम जमाबंदी के कालॅम संख्या 4 में दर्ज है तथा कालॅम संख्या 5 में खुदकाश्त जागीरदार होने का उल्लेख है। तत्कालीन समय में राजस्थान लेण्ड रिफोर्म्स एण्ड जागीर रिज्युम्पशन एक्ट 1952 को दिनांक 08.02.1952 को लागु हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जागीरदार की खुदकाश्त भूमि को जागीरदार की खातेदारी हक की मान ली जाने से जागीरदार को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये । धारा 10 में निम्न विधिक व्यवस्था है

Sections 10 Khatedari rights in khud kasht land – as from the date of resumption of jagir land . any khud kasht landof a jagirdar shall be deemed to be held by the jagirdar as Khatedar tenant and shall be assessed at the village rate.

उक्त वर्णित प्रावधानानुसार संवत 2010 में जागीरदार स्व0 गुलाबसिंह जी को खुदकाश्त भूमि का खातेदार होना घोषित कर दिया गया। इस प्रकार राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 जो राजस्थान राज्य में दिनांक 15.10.1955 को लागु हुआ था उससे पूर्व ही स्व0 गुलाबसिंह जी वादग्रस्त आराजियात जो ' खुदकाश्त ' भूमि के रूप में दर्ज थी उसके खातेदार हो चुके थे।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 5 की उपधारा 23 को खुदकाश्त भूमि को वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमि होना माना गया है जो इस प्रकार है –

Sections 5(23) khud kasht – shell mean land is any part of the state cultivated personally by an estate holder and shall include

उप खण्ड अधिकारी
माण्डल

(i) land recorded as khud kasht. sir, havala, nijijot, gharkhad in settlement recoards at the commencement of this act is accordance with law in force of the time when such record was made and

(ii) land allotted after such commencement khud kasht under any law for the time being inforce in any part of the state.

उक्त प्रावधानानुसार जागीरदार के खुदकाश्त दर्ज रेकार्ड वाली भूमियॉ वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमियॉ होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 द्वारा ऐसी भमियों को निजी होना माना है। इसलिए ऐसे प्रावधानों से वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में पैतृक अधिकार नहीं है। इस कारण वादीगण का वाद किसी तरह से पोषणीय नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पुरूषोतम दास बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू एण्ड अदर्स के मामले में प्रसारित निर्णय 1933 आर.आर.डी. पेज 738 में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है उससे प्रतिवादीगण के आवेदन पत्रानुसार वादग्रस्त संपति पैतृक नहीं माने जाने की पुष्टि होती है –

Rajasthan Tenancy Act Sec.30B – Family On resumption of muafi , assessee become Khatedar of his khudkasht land by opperation of section 10 & 23 of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952- Such land cannot be treated as ancestral land for purpose of claiming a share therein by birth.

उपरोक्त निर्णय से जागीरदार स्व0 गुलाबसिंह को खुदकाश्त भूमि का खातेदार होना विधि द्वारा माना गया है। वह भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक होना नहीं मानी जा सकती । इसलिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट , 1955 के प्रभावशील होने से पूर्व ही स्व0 गुलाबसिंह जी को खुदकाश्त की भूमि का खातेदारी हक विधि द्वारा प्रदत्त कर दिया जो उनकी निजी सम्पति ही मानी गई है। इसलिए वादीगण जो स्व0 गुलाबसिंह के भाईयों के वारिसान वादीगण है उनको किसी भी सूरत में उपरोक्त कानून के प्रकाश में कोई पैतृक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि वादीगण के वादपत्र में वर्णित अभिकथनों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकार्ड्स के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खुदकाश्त की हाने से खातेदारी मानी गई और राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 5(23) में विधिक व्यवस्था से व्यक्तिगत जोती हुई भूमि कानूनन मानी जाने से वादीगण का किसी भी सूरत में कोई हक अधिकार सृजित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वादीगण के आधारहीन वाद का विचारण करने के लिए कथित पक्षकार को न्यायिक प्रकिया में उलझाये रखने से तुच्छ व आधारहीन प्रकृति के वाद में न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग होता है और पक्षकार को अनावश्यक रूप से पीड़ा पहुॅचाना होता है। क्योकि विचारण से वही नतीजा होगा जो आज पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री से साफ व स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसके समर्थन में दृष्टान्त प्रस्तुत किया । जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा धन्नालाल व अन्य बनाम प्रहलादकुमार व अन्य के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग हो ओर सि0प्र0सं0 के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता हो तो न्यायालय असहाय नहीं होगा तथा वह सि0प्र0सं0 की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाद खारिज कर सकता है, वास्तव में एक व्यथित पक्षकार को वाद का विचारण भुगते बिना उस तुच्छ मुकदमेंबाजी को कुचलने के अधिकार से इंकार करना है – अपास्त किया। 2013 RLW (RJ) page 81- CPC O7R11- coutinution of friolous suit remedy – trial court decreed the suit for declaration and ejectment – respodant filed appeal before RAA on

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा

concoted grounds – Allowed on paradox grounds based on surmises and conjectures – held- if H.C. suit is abuse of proceds of the court and cannot be dismissed u/o 7R11 CPC hence the court is not helpless and can dismisss the suit invoking powers u/s 151 CPC coutinution of frivolous suit against any person on the ground that is cannot be dismissed since there is no provision u/o 7R11 CPC is virtually deriying an aggrieved party his right to crush the frivolous litigation without suffering the trial of suit set aside appeal allowed.

इसी तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर एकलपीठ द्वारा मांगीलाल मृतक के विधिक वारिसान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान, अजमेर व अन्य के मामले में 2015 आर.एल. डब्ल्यू. (आर.जे.) पार्ट–। के पेज 189 पर निम्न दृष्टान्त से भी प्रतिवादीगण के आवेदन आदेश 7 नियम 11 को बल प्राप्त होता है– CPC Order 7 and 11 read with Rajasthan Tenency act 1955 Sec. 88, 188 and 135 suit for declaration , partition and possession – mutation was in favour of defendents – suit filed after 40 years –held-suit filed by plaintiff was liable to be dismissed u/order 7 rule 11 being without any substaintial cause of action against delayed and clearly vaxitious and frivolous.

इस प्रकार प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रतिवादीगण का आवेदन आदेश 7 नियम 11 व धरा 151 सि0प्र0सं0. का स्वीकार फरमाकर वादीगण के वादपत्र को नामंजूर किया जावें।

वादीगण के विद्धान अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के तमाम तर्कों का खण्डन करते हुए यह कथन किया है कि वादीगण का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है ओर आदेश 7 नियम 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र कतई पोषणीय नहीं है यह भी कथन किया कि वादग्रसत संपदा पैतृक है या निजी यह प्रश्न तो साक्ष्य आने पर ही निर्धारित हो पायेगा। इसलिए इस स्टेज पर वादीगण का वादपत्र कतई नामंजूर किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी कथन किया कि वादीगण के वादपत्र के अभिकथनों एवं दस्तावेजों पर ही न्यायालय द्वारा घोर किया जाना चाहिए। प्रतिवादीगण के आवेदन व तर्कों को इस स्टेज पर कतई नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज किया जावें और वाद की कार्यवाही को आगे अग्रेषित किया जावें।

मैने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और तर्कों व कानूनी बिन्दुओं पर मनन किया। राजस्थान लेण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिज्युम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों पर मनन किया ˙ साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का गहनता से अध्ययन किया । इससे यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर वादीगण के वादपत्र एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सामग्री से जो कि लोक दस्तावेज है जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। इस प्रकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने से पूर्व ही स्व0 गुलाबसिंह मौजा सुरास के जागीरदार थे जिनकी खुदकाश्त की भूमि के रूप में मौजा सुरास की जमाबंदी संवत 2009 से 2012 में दर्ज रिकार्ड है जिसके अवलोकन से साफ व स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात साबिक रेकार्ड अनुसार साबिक जमाबंदी संवत 2009 से 2012 के खाता संख्या 1 के कालॅम संख्या 5 में ' खुदकाश्त जागीरदार ' दर्ज होना प्रमाणित है उस वक्त राज0 लेण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिज्यूम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 में वर्णित विधिक स्थिति से खुदकाश्त भूमि को जागीरदार की खातेदारी हक की होने की

उप खण्ड अधिकारी
खाण्डल

मान्यता प्रदान कर दी गई थी। यही स्थिति राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 5(23) में वर्णित खुदकाश्त भूमि को जिस प्रकार परिभाषित किया गया है उस मुताबिक खुदकाश्त की भूमि को जागीरदार की वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि होना कानूनन मान लिया गया है। ऐसी विधि की व्यवस्था से उक्त वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से वादीगण की पैतृक सम्पति नहीं मानी जा सकती है बल्कि जागीरदार स्व0 गुलाबसिंह की निजी संपति होना कानूनन माना गया है। ऐसी स्थिति में स्व0 गुलाबसिंह के भाईयों के वारिसान का किसी भी प्रकार से वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हित निहित होना पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से नहीं पाया जाता है जो कि तमाम लोक दस्तावेजात वादीगणद्वारा ही अपने वादपत्र के समर्थन मे पेश किये गये है और वे ही मुख्य आधार दावे का है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज अपने प्रतिवादपत्र के समर्थन प्रस्तुत नहीं करें तो भी वादपत्र एवं साथ प्रस्तुत लोक दस्तावेजात से वादीगण का वादपत्र तुच्छ एवं आधारहीन प्रकृति होना पाया जाने से व्यथित पक्षकार का अकारण ही वाद के विचारण में उलझाये रखना कतई उचित नहीं है ऐसी कानूनी स्थिति में प्रतिवादीगण का आवेदन आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सि0प्र0सं0 का स्वीकार योग्य होना पाता हूँ। अतः

आदेश

प्रतिवादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 व धारा 151 सि0प्र0सं0 का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र नामंजूर किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिकी वादपत्र नामंजूरी का मुर्तिब किया जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
उप खण्ड अधिकारी माण्डल

यह आदेश न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
माण्डल

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री देवी सिंह रावत (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री भगवत सिंह s/o हिम्मतसिंह राजपूत निवासी-सुरास, तहसील-माण्डल
2. श्रीमती धनकंवर w/o हिम्मतसिंह राजपूत ——— " ———
3. श्रीमती गोपालकंवर D/o हिम्मतसिंह राजपूत पत्नी जब्बरसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल करणा, त० बिलाड़ा जोधपुर
4. श्रीमती विष्णु कंवर D/o हिम्मतसिंह पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल मेवी खुर्द त० देसुरी जिला-पाली
5. श्रीमती संतोष कंवर D/o हिम्मतसिंह पत्नी पाबुसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल - करणा त० बिलाड़ा - जोधपुर
6. श्रीमती कान्ताकंवर D/o हिम्मतसिंह पत्नी विक्रमसिंह राजपूत निवासी सुरास हाल पाचुण्डा खुर्द त० सोजत जिला-पाली वर्तमान निवासी राजपूत कॉलोनी भीलवाड़ा
7. श्री विश्वविजयसिंह s/o जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी-सुरास, तहसील-माण्डल
8. श्री जितेन्द्रसिंह s/o जगन्नाथसिंह राजपूत ——— " ———
9. श्रीमती भगवतकंवर w/o जगन्नाथसिंह राजपूत ——— " ——— [वादी]

बनाम

(1) श्री भगवानसिंह s/o स्व० गुलाबसिंह राजपूत निवासी-सुरास, त० माण्डल (2) श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह s/o स्व० लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी-सुरास, त० माण्डल (3) श्री महेन्द्रपाल s/o स्व० लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी-सुरास, त० माण्डल
(4) श्रीमती कौशल्याकंवर w/o स्व० लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी-सुरास, तहसील-माण्डल
(5) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 मुकदमा नं0 / वर्ष 148/14 निर्णय दिनांक 18-12-15

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री कमलेश मेहता Advo. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 व धारा 151 सि०प्र०सं० का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र नामंजूर किया जाता है।

आज तारीख 18-12-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।